

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा  
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस  
राजस्व वाद संख्या :- 61/2005

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. घेंवरराम पुत्र किस्तूरराम		1. प्रहलादराम पुत्र लाबुराम
2. श्रवणराम पुत्र भीयाराम		2. भाकरराम पुत्र लाबुराम
3. सगराम पुत्र भीयाराम उम्र 15 वर्ष नाबागि जरिये कुदरती वली माता जैठी		3. कालुराम पुत्र हरसुखराम जाति बावरी, निवासीगण लाम्बा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
4. जैठी बेवा भीयाराम जाति विश्नोई निवासी लाम्बा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 29.05.2017

पत्रावली आज लोक अदालत कोर्ट कैम्प शिविर ग्राम लाम्बा में प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत वाद में तारीख पेशी 19.09.2016 को वादी अधिवक्ता को आदेश दिया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट संख्या 804/2007 में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2007 की प्रमाणित नकल को पेश करे लेकिन वादी अधिवक्ता ने करीब नौ पेशियाँ व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आज तारीख पेशी तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि को पेश नहीं किया है। अतः वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. की पूर्ण पालना नहीं की है। इस कारण वादी का दावा अदम पालना अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारीज किया जाता है।

(हरिसिंह लम्बोरा)  
सहायक कलेक्टर एवं